बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या–3 / कृ0 बजट–आवंटन–18 / 2013– 125 (आवंटन) / कृ0, पटना, दिनांक 20-08-2013

प्रेषक,

रामजी सिंह
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

मुख्य लेखा पदाधिकारी,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विषय : **भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय पूर्णियाँ की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष, 2010–11 से वित्तीय वर्ष, 2014–15 तक कुल 5 वर्षो के लिए ₹7750.00 लाख रूपये (सतहत्तर करोड़ पचास लाख रू० मात्र) की लागत पर योजना कार्यान्वयन के अधीन वित्तीय वर्ष, 2013–14 में सामान्य वर्ग के लिए ₹1512.00 लाख रूपये (पंद्रह करोड़ बारह लाख रू०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु शेष ₹10,13,04,000 (दस करोड़ तेरह लाख चार हजार रू०) मात्र की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राज्यादेश संख्या–2372 दिनांक–02.05.2013 द्वारा भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय पूर्णियाँ की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष, 2010–11 से वित्तीय वर्ष, 2014–15 तक कुल 5 वर्षो के लिए ₹7750.00 लाख रूपये (सतहत्तर करोड़ पचास लाख रू० मात्र) की लागत पर योजना कार्यान्वयन के अधीन वित्तीय वर्ष, 2013–14 में सामान्य वर्ग के लिए ₹1512.00 लाख रूपये (पंद्रह करोड़ बारह लाख रू०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। पूर्व में विभागीय पत्रांक–12 (आवंटन) दिनांक–09.05.2013 द्वारा ₹4,98,96,000 की राशि आवंटित की जा चुकी है। पुनः **व्यय हेतु शेष ₹10,13,04,000 (दस करोड़ तेरह लाख चार हजार रू०) मात्र** की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त **₹10,13,04,000 (दस करोड़ तेरह लाख चार हजार रू०) मात्र** की राशि का व्यय बजट शीर्ष–2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा–मांग सं०–1–उप मुख्यशीर्ष–01–फसल कृषि कर्म–लघु शीर्ष–277–शिक्षा–उपशीर्ष–0110–कृषि महाविद्यालय, पूर्णियाँ, विपत्र कोड–P2415012770110, राज्य योजना स्कीम कोड–AGR–50 41, विषयशीर्ष–31 04–सहायक अनुदान–वेतन मद में ₹1,34,00,000 (एक करोड़ चौतीस लाख रू०) मात्र, वित्तीय वर्ष 2013–14 में उपबंधित ₹200.00 लाख रू०, विषयशीर्ष–31 05– सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण मद में ₹8,12,04,000 (आठ करोड़ बारह लाख चार हजार रू०) मात्र वित्तीय वर्ष, 2013–14 में उपबंधित राशि ₹1212.00 लाख रू० एवं विषयशीर्ष–31 06–सहायक अनुदान वेतनादि के आलावा मद में ₹67,00,000 (सड़सठ लाख रू०) मात्र वित्तीय वर्ष 2013–14 में उपबंधित राशि 100.00 लाख रू० से विकलनीय होगा

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक–2561 वि0 (2) दिनांक–17.04.98 एवं पत्रांक–7857 दिनांक–31.07.2013 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्त्तो / निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी0 भी0 नं0 के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन,
(ह०) 20/8/13
(रामजी सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 125 (आवंटन) / कृ0, पटना, दिनांक 20-08-2013

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह०) 20/8/13
सरकार के संयुक्त सचिव।

रिज़वी

D:\DOCUMENTS TILL NOW NEW\Documents\Prabhu dt-14.08.2013..doc

ज्ञापांक 125 (आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 20-08-2013

प्रतिलिपि : कृषि निदेशक/निदेशक उद्यान/निदेशक, पी०पी०एम (कृषि विभाग)/ निदेशक, भूमि संरक्षण/मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन बिहार, पटना/उप कृषि निदेशक, (प्रसार)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ/जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर/नियंत्रक, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर/वित्त विभाग, (बजट–शाखा) बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, (प्रशाखा–04, समन्वय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

20/8/13

सरकार के संयुक्त सचिव।

रिजवी

D:\DOCUMENTS TILL NOW NEW\Documents\Prabhu dt-14.08.2013..doc

25